For Portal

न्यायालय ए०एच०गौरी, आरएएस, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर।

(1) अपील संख्या : 17/2016

1	भोमसिंह	पुत्रगण किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी जयमलसर, तहसील कोलायत, बीकानेर	— अपीलान्ट्स
2	धेवरसिंह		

बनाम

1	मु0 गुलाबकंवर पुत्री चन्द्रसिंह जाति राजपूत		
2	मु0 ओमकंवर पुत्री चन्द्रसिंह		
3	मु0 राधाकंवर पत्नी किशोरसिंह		
4	मु0 धापूकंवर	पि0 किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी जयमलसर	
5	मु0 भंवरकंवर		
6	मु0 जगदीश कंवर		
7	मु0 राजू कंवर		
8	चैनसिंह पति श्रेय कंवर जाति राजपूत निवासी चऊ		
9	मु0 भंवर कंवर	पि0 श्रेय कंवर जाति राजपूत निवासी चऊ, तहसील व जिला नागौर	
10	ओंकारसिंह		
11	सवाईसिंह		
12	स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार उपनिवेशन, गजनेर मु0 कोलायत		
13	पूनमचन्द	पुत्रगण गणपतराम जाति कुम्हार निवासी चौखूंटी मौहल्ला बीकानेर	
14	राजीव कुमार		— रेस्पोडेन्ट्स

अपील बनाराजगी इन्तकाल संख्या 1280 दिनांक 08—04—1987 ग्राम जयमलसर श्रीमान तहसीलदार राजस्व, बीकानेर जिसकी रूह से बाराजी मुतनाजा भूमि विरासतन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 के नाम दर्ज की गई, को करने निरस्त व करने अपील मन्जूर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति अभिभाषक :—

1. श्री रामचंद्रसिंह भाटी, अभिभाषक, अपीलान्ट्स।
2. श्री रणजीतसिंह निर्वाण, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 एवं 7 ता 11
3. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 13 ता 14
4. पेरोकार राज राज्य की ओर से।
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय है।

—: निर्णय :—

दिनांक :— 27—02—2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन विद्वान राजस्व तहसीलदार, बीकानेर की आज्ञा दिनांक 08—04—1987 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके कि द्वारा इन्तकाल संख्या 1280 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है।

2 संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रोही जयमलसर स्थित साबिका खसरा नम्बर 93 तादादी 175 बीघा कृषि भूमि का खातेदार चन्द्रसिंह वल्द सुगनसिंह कौम राजपूत भाटी साकिन देह था। उक्त

चन्द्रसिंह की मृत्यु के उपरान्त उसकी जायदाद का विरासतन के आधार पर इन्तकाल संख्या 1280 उसके पुत्र किशोरसिंह, पुत्रियां श्रेय कंवर, गुलाब कंवर, ओमकंवर के नाम दर्ज कर दिया गया। इसी आदेश से नाराज होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया कि भूमि जैर बहस अपील उनके दादा चन्द्रसिंह पुत्र सुगनसिंह की स्वयं पैदा करता जायदाद थी तथा चन्द्रसिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त जायदाद जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 09–08–1984 के द्वारा अपने पुत्र श्री किशोरसिंह के हक में 50 बीघा, अपनी पत्नी सुगनी के हक में 50 बीघा, भीमसिंह पुत्र किशोरसिंह के हक में 50 बीघा एवं घेवरसिंह पुत्र किशोरसिंह के हक मे 25 बीघा भूमि दे दी गई एवं पंजीबद्ध करा दी गई थी लेकिन श्रेय कंवर, गुलाब कंवर एवं ओम कंवर के नाम वसीयत में शामिल नहीं थे फिर भी उन्होंनें विरासतन के आधार पर इन्तकाल संख्या 1280 तहसीलदार राजस्व, बीकानेर से दिनांक 08–04–1987 को तस्दीक करवा दिया जो गलत, अवैध व वसीयत के विरूद्ध होने से ऐसा नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण है जो निरस्त योग्य है। अपीलमीमो में आगे यह भी दर्ज किया है कि आक्षेपाधीन इन्तकाल आदेश की जानकारी उन्हें नहीं हो सकी क्योंकि तहसीलदार ने म्यूटेशन दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया। पारित इन्तकाल एकपक्षीय होने से भी इसकी जानकारी उन्हें पूर्व में नहीं थी। इसके बाबत दफा 5 मियाद कानून का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अपीलमीमो के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रथम जानकारी की तिथि से अपील प्रस्तुत करने के कारण अपील में हुई देरी को क्षमा किया जावे तथा इसे मियाद के भीतर प्रस्तुत होना करार दी जावे। अन्त में अपील को स्वीकार करना एवं आक्षेपाधीन आदेश इन्तकाल दिनांक 08–04–1987 निरस्त फरमाया जावे।

3 इस अपील के रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 व 7 ता 11 की ओर से श्री रणजीतसिंह निर्वाण, एडवोकेट ने अपना अभिभाषक पत्र न्यायालय में दाखिल किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 12 राज्य की ओर से पैरोकारराज उपस्थित आए। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 बावजूद इतला के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध कार्यवाही इकतरफा अमल में ली गई। इस अपील के चलते प्रार्थी पूनमचन्द व राजीव कुमार की ओर से आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर अपने आदेश दिनांक 06–02–2017 से इन दोनों को रेस्पोडेन्ट संख्या 13 व 14 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। जिसके विरूद्व निगरानी/एल0आर0एक्ट/ स0 01226/2017 प्रस्तुत निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 13.4.17 को खारिज की जा चुकी है। इनकी ओर से श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक पैरवी कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख भी तलब किया जिसके

क्रम में इन्तकाल संख्या 1280 असल पडत प्राप्त हुई जो शामिल मिसल करवाई गई। 3

4 बहस उभयपक्ष अधिवक्ता अपील सुनी गई एवं अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस को भी रिकार्ड पर ली गई। लिखित बहस में यह अंकित किया है कि अपीलान्ट के दादा श्री चन्द्रसिंह पुत्र सुगनसिंह का देहान्त होने पर अपीलान्ट के पिता व बुवाओं को श्री चन्द्रसिंह की वसीयत की जानकारी होने के बावजूद दिनांक 08–04–1987 को विरासतन इन्तकाल संख्या 1280 अपने नाम तस्दीक करवा लिया है जो कानूनन व विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5 वसीयत के समय अपीलान्ट नाबालिक थे तथा वसीयत की जानकारी उन्हें नहीं थी। अपीलान्ट को उनके पिता व बुवाओं ने वसीयत की जानकारी कभी नहीं दी जिससे अपीलान्ट्स को वसीयत की बिलकुल ही जानकारी नहीं हो सकी। उन्हें तो दिनांक 01–07–2016 को अपीलान्टान अपने घर में दस्तावेजों की जांच कर रहे थे तो मूल वसीयत की जानकारी होने पर दिनांक 04–07–2016 को इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु हलका पटवारी के पास गये, तो इन्तकाल संख्या 1280 के तस्दीक होने की जानकारी हुई। अतः प्रथम तिथि की जानकारी के आधार पर प्रस्तुत अपील मियाद के भीतर प्रस्तुत कर दी गई है। दफा 5 मियाद अधिनियम का फायदा अपीलार्थीगण को दिया जाकर अपील में हुई देरी को कण्डोन किया जावे तथा इसे मियाद में प्रस्तुत होनी घोषित की जावे। उन्होंनें अपनी लिखित बहस में यह भी अंकित किया है कि इस प्रकरण में रेस्पोडेन्टान के द्वारा कोई प्रति शपथ पत्र पेश नहीं किया है जिससे अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे। इसके बाबत उन्होंनें 1991 आरआरडी पृष्ठ 252, 1987 आरआरडी पृष्ठ 547 तथा 1989 आरआरडी पृष्ठ 548, एआईआर 1987 (एससी) पृष्ठ 1353 के विधि दृष्टान्त भी इंगित किये है।

6 रेस्पोडेन्ट संख्या 13 व 14 की ओर से बहस करते हुए उनके अभिभाषक ने बताया कि प्रस्तुत अपील अति विलम्बित है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। अपील को मियाद के बिन्दु पर ही निरस्त कर दिया जाना चाहिये। इस संबंध में उन्होंनें यह भी कथन किया कि बैंक से लोन उठाने के नामान्तरकरण के विरूद्ध एक अपील संख्या 41/2006 अनवानी पूनमचन्द वगैरह विरूद्ध स्टेट व अन्य 11 के है पेश की थी जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 जो वर्तमान अपीलान्ट के विरूद्ध पेश की थी जो कि दिनांक 30–06–2008 को अपील स्वीकार कर ली गई थी। इस दिन से ही इन्हें हमारे खरीद का पता था। अब अपीलान्ट के द्वारा यह कहना कि उन्हें पूर्व में अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी, बिलकुल ही असत्य कथन है। इस प्रकार दफा 5 मियाद अधिनियम की स्टोरी बिलकुल ही झूठी व असत्य कथनों पर होने से मानने योग्य नहीं है। इन्होंनें इस सम्बन्ध में हमारा ध्यान

आरआरटी 2017 राजस्थान हाईकोर्ट पृष्ठ 117 सेक्सन 5 लिमिटेशन के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता अन्यथा मियाद कानून निरर्थक एवं फालतू हो जायेगा। उक्त नजीर प्रस्तुत मामले में चस्पा होती है। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 13 व 14 ने अपील के गुणावगुण पर बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपील में अधिकारों व हकों का निर्धारण कदापि नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्तकाल की कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें लगान की देयता का ही निर्धारण किया जा सकता है। उन्होंनें आरआरटी 2017 पृष्ठ 1099 के हवाले से कहा कि जहां प्राकृतिक विरासतन एवं वसीयती वारिसों के मध्य विवाद है, वहां दावा में वसीयत साबित कराना आवश्यक है।

7 हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है तथा परस्पर प्रस्तुत की गई विरोधी कानूनी नजीरों का भी अवलोकन किया है।

8 सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दु पर ही अपना निष्कर्ष देते है कि अपील तहसीलदार की आज्ञा दिनांक 08–04–1987 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 11–07–2016 को प्रस्तुत की गई है जो अति विलम्बित है। प्रथम अपील की मियाद कानून में 30 दिवस निर्धारित है लेकिन साथ में यह भी कानूनी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई आदेश पारित किया जाता है, तो उसे सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक है। बिना मौका दिये पारित आदेश के विरूद्ध अपील में आने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से मियाद अधिनियम की दफा 5 का फायदा मिलना चाहिये लेकिन देरी के कारण संतोषप्रद व युक्तियुक्त एवं सद्भाविक होने पर ही न्यायालय मियाद अधिनियम का फायदा सन्दर्भित व्यक्ति को दे सकता है। प्रस्तुत प्रकरण को देखते हैं, तो यह निश्चित तौर पर रेस्पोडेन्ट की बहस में बल है कि रेस्पोडेन्ट्स को अपीलकृत आदेश की जानकारी पूर्व में ही थी क्योंकि इन्तकाल संख्या 2042 दिनांक 23–08–2005 ग्राम जयमलसर जो इसी भूमि से संबंधित था, के विरूद्ध अपील संख्या 41/2006 वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 13 व 14 ने स्टेट व अन्यों के विरूद्ध प्रस्तुत की थी जिसमें वर्तमान अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के रूप में उस अपील में संयोजित थे उक्त अपील के निर्णय के विरूद्ध आर०ए०ए० मे वर्तमान अपीलान्ट के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय दिनांक 1.7.2009 को हुआ तत्पश्चात् वर्तमान अपीलान्ट द्वारा ही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी 5565/2009 की गई जो दिनांक 9.6.2016 को खारिज हुई तत्पश्चात् यह नई अपील दिनांक 11.7.2016 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई उक्त अपीलो / निगरानीयो से सन्दर्भित भूमि के बेचान अपीलान्ट के पिता व उनकी बहनों द्वारा की गई थी,इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन

नामान्तरण स0 1280 दिनांक 8.4.87 की जानकारी अपीलान्ट को भलीभांति थी। ऐसी स्थिति में दफा 5 मियाद अधिनियम में देरी के कारण अपीलार्थीगण द्वारा दर्ज किये गये है व सद्भाविक, संतोषप्रद नहीं माने जा सकते। इस कारण से उन्हें दफा 5 मियाद अधिनियम का फायदा कतईतौर पर नहीं दिया जा सकता और अपील मियाद के बिन्दु पर ही निरस्त हो जाती है। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस में यह अंकित करना कि काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। कोई मायना नहीं रखता है और हमारी सुविचारित राय में अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जो मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य हो जाती है।

9 जहां तक अपील के गुणावगुण का प्रश्न है। इस संबंध में हमारा यह कहना ही पर्याप्त होगा कि जहां प्राकृतिक विरासतन एवं वसीयती वारिसों के मध्य तनाजा है, वहां दावा में वसीयत साबित कराकर ही हकों का निस्तारण करवाया जा सकता है।

10 प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने से इसी आधार पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27--02--2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए0एच0 गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर